

प्रकरण क्रमांक-536 / 2022
संस्थित दिनांक-12.11.2022

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE
CRIMINAL PROCEDURE CODE 1898

In the Court of Ku. Seema Jagdalla, Judicial Magistrate Class First
Simga, Distt. Balodabazar (C.G.)

Name and address of the complaint C.G.Govt. Through PS Simga

Name, parentage, Cast and address of accused

दिनेश कुमार यादव पिता स्व. रामचंद यादव उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम
हथबंद थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार छ.ग.

The offence complained of and date of its alleged commission

आप अभियुक्त ने घटना दिनांक 05/07/2022 को समय 16:45 बजे
स्थान आरोपी का चखना दुकान हथबंद चौक ग्राम हथबंद या अंतर्गत
आरक्षी केन्द्र सिमगा, जिला बलौदाबाजार में लोगो को मदिरापान पिलाने
की सुविधा प्रदान करते पाये गये और ऐसा करके आपने वह कृत्य किया
जो कि छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 36-सी के तहत दंडनीय है,
जो इस न्यायालय के संज्ञान में है ।

(कु. सीमा जगदल्ला)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

सिमगा, जिला बलौदाबाजार छ.ग.

The Plea of the accused and his examination (if any)

1. अभियुक्त के हस्ताक्षर

The offence proved, if any and in case under clause (d),
clause (f), or clause (g) of sum section (i) of on 260 the value of
the property in respect of which the offence has been committed.

(कु. सीमा जगदल्ला)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

सिमगा, जिला बलौदाबाजार छ.ग.

न्यायालय ::— कु. सीमा जगदल्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिमगा, जिला बलौदाबाजार (छ0ग0)

//निर्णय//

(आज दिनांक 12 / 11 / 2022 को घोषित)

अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 36—सी के तहत अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है । अतः अभियुक्त को छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 36—सी के तहत 1000 /— रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है ।

अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने की दशा में एक माह के साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे ।

प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति एक पाव देशी मदिरा मशाला शराब शीलबंद 180 एम.एल. एक पाव की शीशी में 60 एम.एल. देशी मदिरा मशाला तथा दो नग डिस्पोजल गिलास को मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया ।
मेरे निर्देश पर टंकित किया गया

(कु. सीमा जगदल्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिमगा, जिला बलौदाबाजार छ.ग.

